सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : मैड, कैम्प दिनांक 12.06.2018

पीठासीन अधिकारी – मुकेश कुमार मूंड R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 20/2010 दायर तारीख 19.04.2010

श्रीमति सुरजी देवी पत्नि भगवानसहाय जाति जाट निवासी धौल्या की ढाणी तन मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ——: ***वादीया***

बनाम

1. श्रीमति बिदामी देवी पत्नि गिरधारीलाल
2. गिरधारीलाल
3. कैलाश
4. गुलाबचन्द

(2–4) पि. परताराम

5. रूडी देवी पत्नि गुलाबचन्द
6. सुवालाल पुत्र परताराम
7. मेवा देवी पत्नि सुवालाल

(1–7) समस्त जाति जाट निवासी धौल्या की ढाणी तन मैड तहसील विराटनगर, जयपुर

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

—— ***प्रतिवादीगण***

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गोपाल टांक अधिवक्ता वादी
श्री गणपतलाल पंसारी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7

निर्णय

दिनांक :– 12.06.2018

1. वादी ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 3654/0.31, 3655/0.14, 3656/0.30, 3674/0.25 कुल किता 4 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम मैड तहसील विराटनगर की खातेदारी बरूए जमाबन्दी संवत् 2062 से 2065 श्योदान नाथ पुत्र नाथू नाथ हिस्सा 1/2, श्रीमति मुन्नी देवी पत्नि द्वारकामोहन महाजन, श्रीमति बिदामी देवी पत्नि गिरधारीलाल हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज थी एवं हिस्सेदार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपने–अपने हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से शामिल मे ही भूमि का उपयोग–उपभोग व काश्त करते थे। खातेदारों के मध्य भूमि का कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ। खातेदार श्योदान नाथ की मृत्यु होने पर जरिए नामान्तकरण सं. 1265 दिनांक 29.06.2009 के द्वारा श्योदान नाथ की विरासत से रामकरण पुत्र बंशी दत्तक पुत्र श्योदान नाथ हिस्सा 1/2 जाति जोगी साकिन देह खातेदार का नाम दर्ज हुआ था, जो कि भूमि के 1/2 भाग पर श्योदान नाथ के समय से ही उसके साथ काबिज काश्त था। रामकरण पुत्र बंशी दत्तक पुत्र श्योदान नाथ ने अपने हिस्से 1/2 भाग की भूमि का बेचान वादीया सुरजी देवी पत्नि भगवानसहाय जाट के नाम कर दिया इस आधार पर नामान्तकरण संख्या 1311 दिनांक 05.11.2009 के द्वारा वादीया का नाम दर्ज किया गया, वादीया तब से भूमि के 1/2 हिस्से पर भूमि के अन्य सहखातेदारों के साथ संयुक्त रूप से काबिज काश्त है एवं अपने हिस्से अनुसार भूमि का उपयोग, उपभोग कर रही है। भूमि के 1/4 भाग के सहखातेदार ने अपने 1/4 हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादी सं. 2 गिरधारी पुत्र परता जाट को कर दिया एवं नामान्तकरण सं. 1315 दिनांक 05.11.2009 के द्वारा मुन्नी देवी पत्नि द्वारकामोहन की जगह खरीददार प्रतिवादी सं. 2 का नोट दर्ज हो गया है, मौके पर गिरधारी काबिज है। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य भूमि का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है संयुक्त रूप से अपने–अपने हिस्से अनुसार भूमि पर काबिज है। भूमि मुतनाजा के पश्चिम मे लगती हुई गैरमुमकीन रास्ते की खसरा नम्बर 3657 की भूमि है, जिसमें वादीया एवं प्रतिवादीगण का आने–जाने का कदीमी रास्ता है। उक्त रास्ते के दक्षिण में लगती हुई प्रतिवादीगण की अन्य खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 3538, 3539, 3540 की भूमि है जिसकी खातेदारी मुन्नी देवी पत्नि द्वारकामोहन अग्रवाल एवं प्रतिवादी सं. 1 बिदामी देवी पत्नि गिरधारी लाल जाट के नाम दर्ज है। रास्ते की भूमि को प्रतिवादीगण अनाधिकार रूप से अपनी उक्त भूमि में मिला लेना चाहते है एवं वादीया के आने–जाने मे व्यवधान पैदा करने लगे है। अतः भूमि मुतनाजा का मौके पर सरस–नरस से एवं भूमि पर पहुंचने की सुविधा व रास्ते को ध्यान में रखते हुए कानूनी बंटवारा किया जाना आवश्यक है। मौके पर खसरा नम्बर 3656, 3655 समतल है तथा खसरा नम्बर 3674, 3654 उबड–खाबड है। प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक ईंच पर हिस्से अनुसार कब्जा काश्त व हक अधिकार है। प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने अन्य प्रतिवादीगण के साथ मिलकर नाजायज

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संगठन बना रखा है एवं अच्छी–अच्छी भूमि पर काबिज होना चाहते है। अतः वादीया का निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 3654, 3655, 3656, 3674 किता 4 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम मैड का वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य भूमि के उपजाऊपन व सरस–नरस के आधार पर एवं खसरा नम्बर 3657 गैरमुमकीन रास्ता भूमि से आने–जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए कानूनी बंटवारा किया जाकर वादीया के हक व हिस्से मे आने वाली भूमि पर वादीया का अलग से कब्जा करवाया जावे व भूमि का लगान भी बांट दिया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे वादीया को उसके हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग उसकी इच्छानुसार करने देवे व खसरा नम्बर 3657 गैरमुमकीन रास्ता मे से वादीया को आने–जाने मे कोई बाधा कारित नही करें।

2. वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र एवं नकल जमाबन्दी हाल खाता सं. 838 ग्राम मैड संवत् 2062–2065 पेश किए।

3. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजिका किया गया तथा प्रतिवादीगण की तल्बी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिवक्ता श्री गणपतलाल पंसारी उपस्थित हुए एवं जवाब दावा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हुई एवं उनकी तरफ से अधिवक्ता श्री गणपतलाल पंसारी द्वारा अण्डर टेकिंग पेश की गई, लेकिन प्रतिवादी सं. 3 लगायत 7 की ओर से वकलातनामा पेश नहीं किए जाने एवं असालतन भी उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का जवाब रहा कि पक्षकारों के मध्य बंटवारा हुआ है, शामिल मे काश्त नहीं करते हैं। खसरा नम्बर 3656/0.30, 3655/0.14, 3654/0.06 हैक्टेयर पर प्रतिवादीगण काश्त कर रहे हैं। खसरा नम्बर 3657 में कोई रास्ता नहीं है, गैरमुमकीन रास्ता गलत दर्ज किया गया है। विवादित भूमि को कब्जे काश्त के आधार पर बंटवारे की डिक्री फरमाई जावे एवं 3657 के संबंध में वादी का जो अनुतोष है, उसे खारिज किया जावे। जवाबुल जवाब पेश कर, जवाब दावे को वादी द्वारा अस्वीकार किया गया।

5. उभय पक्षों के अभिवचनों के आधार पर तनकी कायम की गई। साक्ष्य के रूप में वादी का शपथ पत्र पेश किया गया। साक्ष्य नहीं करवाकर प्रकरण ही उभय पक्षों द्वारा दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत प्राथमिक डिक्री किए जाने प्रार्थना की गई। प्रकरण दिनांक 23.05.2012 को प्राथमिक रूप

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

से डिक्री किया जाकर बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 09.11.2012 प्राप्त किया। प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव पर अधिवक्ता वादीया की आपत्ति होने पर पुनः 24.04.2017 को बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया, जिस पर भी अधिवक्ता वादीया की आपत्ति रही कि उक्त रिपोर्ट पटवारी हलका द्वारा तैयार की गई है, जो राजस्व मण्डल के नियमों के विपरीत है। आपत्ति स्वीकार की जाकर पुनः बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त 12.06.2018 प्राप्त किया गया।

6. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मैड में पेश हुई। प्रस्तुत बंटवारा रिपोर्ट पर उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रस्तुत बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप प्राप्त हुई है, जिस पर उभय पक्ष सहमत है।

7. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। दावा खाता एवं लगान विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित है। खाता बंटवारा करवाया जाना खातेदार का काश्तकारी अधिकार है एवं जिस पर उभय पक्ष सहमत हैं। ग्राम मैड के खसरा नम्बर 3654/0.31, 3655/0.14, 3656/0.30, 3674/0.25 हैक्टेयर की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2070–2073 वादीया हिस्सा 1/2, प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। उभय पक्षकारान के निवेदन पर दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.06.2018 प्राप्त किया जाकर उपस्थित पक्षकारान को मजमे आम सुना गया। उपस्थित पक्षकारान ने प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमति प्रदान करते हुए न्यायालय आदेशिका पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये है। अतः वाद मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.06.2018 डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आदेश

वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम मैड की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	सुरजी पत्नी भगवानसहाय जाति जाट	3674/0.25, 3654/0.2386, 3656/1/0.0114 हैक्टेयर
2	बिदामी देवी पत्नी गिरधारी लाल हिस्सा 1/2, गिरधारी पुत्र परताराम हिस्सा 1/2	3656/0.2886, 3655/0.14, 3654/1/0.0714 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 12.06.2018.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प मैड में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : मैड **दिनांक 12.06.2018**

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

श्रीमति सुरजी देवी पत्नि भगवानसहाय जाति जाट निवासी धौल्या की ढाणी तन मैड तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ***—: वादीया***

बनाम

1. श्रीमति बिदामी देवी पत्नि गिरधारीलाल
2. गिरधारीलाल
3. कैलाश — पि. परताराम
4. गुलाबचन्द
5. रूडी देवी पत्नि गुलाबचन्द
6. सुवालाल पुत्र परताराम
7. मेवा देवी पत्नि सुवालाल

समस्त जाति जाट निवासी धौल्या की ढाणी तन मैड तहसील विराटनगर, जयपुर

8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 20/2018 **दावा बाबत बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री गोपाल टांक एडवोकेट** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री गणपतलाल पंसारी एडवोकेट** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 3654, 3655, 3656, 3674 किता 4 कुल रकबा 1.00 हैक्टेयर वाके ग्राम मैड का वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के मध्य भूमि के उपजाऊपन व सरस–नरस के आधार पर एवं खसरा नम्बर 3657 गैरमुमकीन रास्ता भूमि से आने–जाने के रास्ते को ध्यान में रखते हुए कानूनी बंटवारा किया जाकर वादीया के हक व हिस्से मे आने वाली भूमि पर वादीया का अलग से कब्जा करवाया जावे व भूमि का लगान भी बांट दिया जावे। तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से हमेशा के लिए पाबन्द किया जावे कि वे वादीया को उसके हिस्से की भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग उसकी इच्छानुसार करने देवे व खसरा नम्बर 3657 गैरमुमकीन रास्ता मे से वादीया को आने–जाने मे कोई बाधा कारित नही करें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट मैड में मजमा–ए–आम उपस्थित पक्षकारान को सुना गया। प्रकरण दिनांक 23.05.2012 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव दिनांक 12.06.2018 अनुसार दावा डिक्री किये जान पर उभय पक्षकार सहमत है। **अतः हुक्म दिया जाता है कि** वादी का वादपत्र मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर ग्राम मैड की खातेदारी भूमि का पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर
1	सुरजी पत्नी भगवानसहाय जाति जाट	3674/0.25, 3654/0.2386, 3656/1/0.0114 हैक्टेयर
2	बिदामी देवी पत्नी गिरधारी लाल हिस्सा 1/2, गिरधारी पुत्र परताराम हिस्सा 1/2	3656/0.2886, 3655/0.14, 3654/1/0.0714 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि बंटवारे में प्राप्त खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की दखल नहीं करें। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 12.06.2018.2018 को मजमा–ए–आम कैम्प मैड में सुनाया

(मुकेश कुमार मूंड R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 12.06.2018** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस की आ सीसे दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर